न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी नलिनी कठोतिया, आई0ए0एस0)

अपील संख्या :–56/2015 (धारा 76 भू–राज0अधि01956) (RCMS No.2015/00025)

1. बुद्वो पत्नि श्री मोहनलाल जाति धाकड आयु 58 साल निवासी बिचपुरी पट्टी, वैर जिला भरतपुर (राज.)

.....अपीलार्थी

बनाम

1. गोपाल पुत्र श्री गिर्राज जाति मीना निवासी ग्राम लुहासा तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....असल रेस्पोडेन्ट

2. मंगली वेवा गिर्राज (मृतक)
3. बुद्वी पुत्र श्री नानगा (मृतक)
   3/1 दिनेश, 3/2 कमल } पिसरान बुद्वी जाति नाई निवासी ग्राम लुहासा तहसील वैर जिला भरतपुर
4. दौजी पुत्र नानगा (मृतक)
   4/1 दीना, 4/2 तेजसिंह, 4/3 शिवदयाल } पिसरान दौजी जाति नाई निवासी ग्राम लुहासा तहसील वैर जिला भरतपुर।
5. बाबूलाल पुत्र श्री गिर्राज
6. घमण्डी पुत्र श्री कमल
7. बनैसिंह पुत्र श्री कमल

   } जाति धाकड निवासीयान ग्राम लुहासा तहसील वैर जिला भरतपुर राज.

..... तरतीवी रेस्पोडेन्टान

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 13.03.2015 व फैसला तहसीलदार वैर दिनांक 09.04.2012 बावत् इंतकाल संख्या 1547

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

उपस्थितिः–

1. श्री धर्मेन्द्र सोलंकी, वकील अपीलान्ट
2. श्री हेमराज शर्मा वकील तरतीवी रेस्पोडेन्ट सं. 6

निर्णय

दिनांकः— 10.02.2026

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 13.03.2015 एवं तहसीलदार वैर के आदेश दिनांक 09.04.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 961 रकवा 1 बीघा 11 विस्वा में से हिस्सा 1/2 एवं खसरा नम्बर 960 रकवा 14 बीघा 4 विस्वा में से हिस्सा 3/8 का बयनामा दिनांक 11.09.2008 को क्रय किया गया था। वरोज बयनामा से अपीलांट अपनी क्रय की गई आराजी पर वहैसियत खातेदार काबिज है। अपीलांट द्वारा अपने बयनामा के आधार पर नामांतरकरण स्वीकार कराये जाने की कार्यवाही के लिए तहसील में सम्पर्क किया तो उन्होने बताया कि इस आराजी का दाखिल खारिज संख्यका 1547 दिनांक 09.04.2012 को साविक खातेदार गोपाल के नाम राजस्व मण्डल के आदेश से स्वीकृत किया जा चुका है। उक्त नामांतरकरण की अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर में पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2015 से अपीलांट की अपील खारिज कर दी गई। जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तरतीवी रेस्पो. संख्या 6 की ओर से श्री हेमराज शर्मा एडवोकेट उपस्थित। अन्य रेस्पोडेन्टस बावजूद सूचना अनुपस्थित। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये लिखित बहस पेश कर कथन किया कि फैसला व हुक्म हरदो अदालत तहत खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल है जो काबिल मंसूखी हैं। आराजी खसरा नम्बर 960 रकवा 14 बीघा 4 विस्वा एवं ख.नं. 961 रकवा 1 बीघा 11 विस्वा वाके ग्राम बझेराकलां तहसील वैर का खातेदार काश्तकार गोपाल वल्द गिर्राज नावालिग व सरपरस्त मुस. मंगली वेवा गिर्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। उक्त गोपाल द्वारा अपनी माता मुस. मंगली के जरिये आराजी का वयनामा दिनांक 04.05.1962 को बुद्वी पुत्र नानगा जाति नाई एवं बाबूलाल पुत्र गिर्राज धाकड निवासी लुहासा तहसील वैर को विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया और कब्जा मौके पर दे दिया। वयनामा के आधार पर ग्राम पंचायत बझेराकलॉ द्वारा क्रेतागण के पक्ष में नामांतरकरण संख्या 306 दिनांक 16.11.1962 को स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया। बुद्वी पुत्र नानगा द्वारा दिनांक 11.09.2008 को अपीलांट के हक में ख.नं. 961 रकवा 1 बीघा 11 विस्वा में से 1/2 हिस्सा एवं ख.नं. 960 रकवा 14 बीघा 4 विस्वा में से हिस्सा 3/8 का वयनामा अपीलांट के हक में रजिस्टर्ड करा दिया व कब्जा मौके पर दे दिया। वयनामा के बाद से अपीलांट अपनी क्रय की गई आराजी पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। अपीलांट द्वारा अपने वयनामा के आधार पर नामांतरकरण स्वीकार कराये जाने की

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

कार्यवाही के लिए तहसील में सम्पर्क किया तो पता चला कि आराजी का दाखिल खारिज संख्या 1547 दिनांक 09.04.2012 को राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश से गोपाल के नाम स्वीकृत हो चुका है।अधीनस्थ न्यायालयों ने विवादित दाखिल खारिज को राजस्व मण्डल अजमेर की आज्ञा दिनांक 12.03.1996 के किसी रेफरेन्स के निर्णय के आधार पर स्वीकृत किया है जबकि दाखिल खारिज स्वीकृत किये जाने के दिन दिनांक 12.03.1996 राजस्व मण्डल अस्तित्व में ही नहीं था। राजस्व मण्डल का आदेश दिनांक 12.03.1996 माननीय उच्च न्यायालय राज़स्थान के आदेश दिनांक 19.12.2011 को रिट पिटिशन संख्या 17661/2011 के द्वारा अपीलांट को निर्देशित किया गया कि अपीलांट इस आदेश के संबंध में राजस्व मण्डल में कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश की रोशनी में राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रकरण सुनवाई के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया है जो सुनवाई के लिए विचाराधीन है। मौके पर अपीलांट क्रय की गई आराजी पर काबिज है। राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रूल्स के नियम 134 के अन्तर्गत यह प्रावधित किया हुआ है कोई भी दाखिल खारिज तब तक स्वीकार नहीं होगा जब तक कि सैंक्शनिंग अधिकारी के समक्ष आराजी के कब्जे के संबंध में रिपोर्ट न आ जावे। तहत अदालतों ने कानूनी बिन्दुओं पर कतई गौर नहीं किया। दोनो ही बिन्दु अपील को स्वीकार कर रिमाण्ड करने के लिए पर्याप्त थे। अपीलांट अपनी क्रय की गई भूमि पर काबिज काश्त है। अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया। दाखिल खारिज संख्या 1547 के कॉलम संख्या 9 में अंकित व्यक्ति द्वारा जब आराजी का बेचान 03.05.1962/04.05.2002 को किया जा चुका था तो उसके अधिकार भी धारा 63 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत समाप्त हो चके हैं। तब यह दाखिल खारिज खिलाफ कानून स्वीकृत किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज योग्य है। निर्णय के उपरान्त रेस्पोडेन्टान बुद्वी, दौजी को स्वर्गवास हो जाने के कारण उनके वारिसान को रेस्पोडेन्ट बनाया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर हरदो अदालत तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर का निर्णय दिनांक 13.03.2015 एवं तहसीलदार वैर का आदेश दिनांक 09.04.2012 अपास्त किया जाकर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड फरमाया जावे। अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत यथा आरआरडी 1980 पेज 601, आरआरडी 1977 पेज 621, आरआरडी 1982 पेज 40 एवं आरआरडी 1982 पेज 517 उद्वृत किये।

वकील तरतीवी रैस्पोडेन्ट संख्या 6 द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट की अपील स्वीकार कर ली जावे तो उनको कोई आपत्ति नहीं है।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालयों के प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 1547 दिनांक 09.04.2012 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 12.03.1996 वसिलसिले रैफरेंस संख्या 181/95 की पालना में वहक रेस्पोडेन्ट गोपाल खोला गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि हुकमन आदेश जब तक

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

आस्तित्व में बना रहता है उसके आधार पर खोले गये नामांतरकरण में कोई विधिक त्रुटि नहीं रहती है। वकील अपीलांट के द्वारा अदालत हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.03.1996 जिसके द्वारा अपीलाधीन नामांतरकरण खोला गया है को आक्षेपित किया जा सके। चूँकि नामांतरकरण की कार्यवाही एक समरी प्रोसीडिंग्स है जिसमें हक–हकूक तय नहीं किये जा सकते। लिहाजा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.03.2015 में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने के कारण हम किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अपील अपीलांट खारिज योग्य रहंती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2015 यथावत रखा जाता है। अपील फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नलिनी कठोतिया)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर